(169)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (कैम्प रीवा) म0प्र0

Rs. 20/-

435 / 5-8-14

R-3066-III/14

रामनरेश विश्वकर्मा पिता स्व0 श्री जगन्नाथ विश्वकर्मा निवासी ग्राम चौड़ियार तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

निगरानीकर्ता

बनाम

राजमणि कुशवाहा पिता श्री रामाधार कुशवाहा निवासी ग्राम चौड़ियार तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

गैर निगरानीकर्ता

05-8-14

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनॉक 24.06.2014 प्र.क. 104/अ–66/2013–14 द्वारा पारित अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा म0प्र0 अन्तर्गत धारा 7 म0प्र0 वास स्थान दखल कार (भूमिस्वामी अधिकारो का प्रदाय किया जाना) अधिनियम 1980 ई0

25-8-14

मान्यवर,

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :–

(1.) यह कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनॉक 24.06.2014 प्र0क0 104/A66/2013–14 अधिकारित रहित विधि व प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2.) यह कि निगरानीकर्ता भूमिहीन एवं अत्यन्त गरीब व्यक्ति है जिसका पुराना पैतृक माकान अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 382/5 रकवा 0.113 हे0 के अंश भाग

रामनरेश विश्वकर्मा

(169)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R. 3066-तीन/14 जिला– रीवा

राम नरेश विश्वकर्मा विरूद्ध राजमणि कुशवाहा

(1)	(2)	(3)
19-12-18-	1. आवेदक की ओर से श्री नितेन्द्र पाठक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 104/अ-66/13-14 में पारित आदेश दिनांक 24-6-14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14-3-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	